न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 70/2021 (RCMS : 2021/189)

संदीप कौर पुत्री गुरनाम सिंह पत्नी गुरलाल जाति जटसिख निवासी लिखमेवाला (28 पीएस) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 2 डब्ल्यू गुरूसर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **कुलदीप सिंह** पुत्र लाल सिंह
2. **रेशम सिंह** पुत्र निरंजन सिंह

} जाति जटसिख निवासीयान 28 पीएस तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

3. जगतार सिह मृतक

3/1 **जसपाल सिंह** पुत्र हुकमचन्द उर्फ हुशनचन्द जाति जटसिख निवासी 28 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

4. **ग्राम पंचायत लिखमेवाला** पं.स. रायसिंहनगर
5. **उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर**

11.02.2023

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ एवं अप्रार्थी संख्या 1 और 3/1 के अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत बिश्नोई उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली **का अवलोकन किया गया।**

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में संदीप कौर ने एक अपील प्रस्तुत की हुई है, जिसमें उन्होनें निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने हेतु प्रस्तुत किया था। उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के विरूद्ध मुंतकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील का निर्णय उनके खिलाफ ही होगा। इसलिए उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के यहां लम्बित अपील को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:40:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि विचाराधीन प्रकरण तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है और नये पीठासीन अधिकारी ने कार्यग्रहण भी कर लिया है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो जाने के कारण खारिज करने योग्य है।

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण 05/2021 संदीप कौर बनाम कुलदीप सिंह आदि अन्तर्गत 75 एलआरएक्ट को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया था। अब चूंकि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है और नये पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण भी किया जा चुका है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:40:16 IST
Reason: SelfAttested